



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042024-253557
CG-DL-E-04042024-253557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1537]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2024/चैत्र 15, 1946

No. 1537]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2024/CHAITRA 15, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2024

का.आ. 1620(अ).—केंद्रीय सरकार, ट्रिब्यूनल (सेवा शर्तें) नियमावली, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (7) के खंड (ग) और नियम 10 के उप-नियम (2) के साथ पठित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, 2021 (2021 का 33) की धारा 3 की उप-धारा (2) और धारा 5 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री धीरज भटनागर, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए या सड़सठ वर्ष की आयु अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल के तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 3/2/2023-आरई]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Financial Markets Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2024

S.O. 1620(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 and clause (ii) of section 5 of the Tribunals Reforms Act, 2021 (33 of 2021) read with clause (c) of sub-rule (7) of rule 3 and sub-rule (2) of rule 10 of the Tribunal (Conditions of Service) Rules, 2021, the Central Government hereby appoints Shri Dheeraj Bhatnagar, Retd. Principal Chief Commissioner of Income Tax, Delhi as Technical Member of the Securities Appellate Tribunal for a period of four years with effect from the date of assumption of charge or till he attains the age of sixty-seven years, or until further orders, whichever is the earlier.

[F. No. 3/2/2023-RE]
SURBHI JAIN, Jt. Secy.